[2013] 16 एस.सी.आर. 1107

मेसर्स पीआरपी एक्सपोर्ट्स एवं अन्य

बनाम

मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार एवं अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्याएँ 18662-18663/2013)

13 दिसम्बर, 2013

[के.एस. राधाकृष्णन एवं ए.के. सीकरी, न्यायमूर्तिगण]

खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 – धारा 4(1) एवं 4(1-क) – तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियमावली, 1959 – नियम 36(4) एवं 36(1) – ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 – धारा 19(2) – खनन संचालन का निलंबन – अनधिकृत खनन का आरोप – उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामलों की अन्वेषण जारी रखने की अनुमति, किन्तु उसे खनन संचालन जारी रखने की अनुमति – तत्पश्चात् 1999 की नियमावली के अधीन निलंबन आदेश पारित तथा याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस निर्गत – रिट अपील – खंडपीठ द्वारा पश्चातवर्ती निलंबन आदेश को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकृत – अभिनिर्धारित : चूँकि इस मुद्दे पर अनेक रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं तथा वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने कुछ न्यायसंगत निर्देश भी जारी किए हैं, अतः मामले के गुण-दोष पर निर्णय देना उपयुक्त नहीं होगा।

प्रक्रिया एवं पद्धति – पश्चातवर्ती घटनाएँ – विचार – अनुज्ञेयता – अभिनिर्धारित : जहाँ व्यापक लोकहित संलग्न हो, वहाँ न्यायालयों को पश्चातवर्ती घटनाओं का परीक्षण करना चाहिए।

याचिकाकर्ता, एक साझेदारी फर्म, ग्रेनाइट के व्यवसाय में संलग्न थी। मदुरै जिले में स्थित 55 ग्रेनाइट खदानें उसके पक्ष में पट्टे पर दी गई थीं। उत्तरदाता अधिकारियों ने अवैध

एवं अनधिकृत खनन के आरोप में उसकी 55 खदानों में खनन संचालन निलंबित कर दिया, याचिकाकर्ता के कारखाने को सील कर दिया तथा उसके बैंक खातों को जब्त कर लिया।

याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को रिट याचिका दायर कर चुनौती दी और उसी का निस्तारण उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामलों की अन्वेषण जारी रखने की अनुमति दी, किन्तु संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को खनन संचालन जारी रखने एवं अपना व्यवसाय चलाने दे।

उत्तरदाता-राज्य ने रिट अपील दायर की। उसी के लंबित रहने के दौरान ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 की धारा 19(2) के अधीन दिनांक 14.12.2012 को निलंबन आदेश जारी किए गए तथा दिनांक शून्य 12.12.2012 के कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किए गए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अपील स्वीकृत कर ली। तथापि, उसने कुछ न्यायसंगत निर्देश भी दिए। फलतः वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की गईं।

याचिकाओं को निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. जब व्यापक लोकहित संलग्न हो, तब न्यायालय सदैव पश्चातवर्ती घटनाओं पर विचार कर सकता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पश्चातवर्ती घटनाओं का परीक्षण करना उचित था। [कंडिका-7] [1115-सी]

ऑल इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाम के. श्याम कुमार (2010) 6 एससीसी 614 : 2010 (6) एससीआर 291 – अवलंबन किया गया।

मोहीन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य (1978) 1 एससीसी 405 : 1978 (2) एससीआर 272 – संदर्भित।

2.1. सरकार एवं जिला प्रशासन को मदुरै जिले में अवैध खनन के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को उन शिकायतों का सत्यापन करने का निर्देश दिया। व्यापक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात्

भूविज्ञान एवं खनन के उप निदेशक तथा सहायक निदेशक ने 23.11.2012 को 88 ग्रेनाइट खदानों के संबंध में मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भूविज्ञान एवं खनन के उप निदेशक तथा सहायक निदेशक ने अपनी मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2012 में प्रतिवेदित किया कि याचिकाकर्ता फर्म ने अपने खनन योजना के अनुरूप खनन संचालन नहीं किया तथा समीपवर्ती सड़कों, तालाबों, नहरों एवं जल निकायों पर अतिक्रमण किया और समीपवर्ती गैर-पट्टाधारित क्षेत्रों में अवैध रूप से ग्रेनाइट का उत्खनन किया। आगे यह भी इंगित किया गया कि जिला खान कार्यालय द्वारा अनुमत मात्रा तथा याचिकाकर्ता फर्म द्वारा उत्खनित मात्रा के बीच अत्यधिक अंतर था। फलस्वरूप यह इंगित किया गया कि उन्होंने खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) एवं 4(1-क) का उल्लंघन किया तथा तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियमावली, 1959 के नियम 36(4) एवं 36(1) का भी उल्लंघन किया। यह भी इंगित किया गया कि याचिकाकर्ता ने ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 के नियम 15 एवं 18 के अनुसार खनन योजना प्रस्तुत नहीं की तथा अधिभार एवं अपशिष्ट पदार्थों को निर्धारित स्थान पर संग्रहित नहीं किया। विभिन्न अन्य उल्लंघनों की ओर भी संकेत किया गया। [कंडिका 8 एवं 9] [1115-एफ-एच; 1116-ए-जी]

2.2. जिला समाहर्ता की दिनांक 19.05.2012 की प्रतिवेदन तथा भूविज्ञान एवं खनन के उप निदेशक की दिनांक 23.11.2012 की प्रतिवेदन के आलोक में याचिकाकर्ताओं को पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के अनुसार खदानों का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तृतीय उत्तरदाता द्वारा दायर शपथपत्र में इंगित किया गया कि याचिकाकर्ताओं की 16 खदानों से अवैध परिवहन की मात्रा लगभग 1207863.164 घन मीटर थी तथा लागत की वसूली हेतु खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अधीन याचिकाकर्ता फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। यह कहा गया कि केवल 16 खदानों में अवैध उत्खनन का मूल्य लगभग 4124.14 करोड़ रुपये था। आगे यह भी इंगित किया गया कि अन्य खदान संचालकों ने भी इसी प्रकार के अवैध खनन कार्यों में संलग्नता

दिखाई तथा अवैध कार्यों की कुल मात्रा लगभग 12390.460 करोड़ रुपये आंकी गई। यह भी इंगित किया गया कि सरकारी भूमि में अवैध खनन संचालन किए जाने के संबंध में अनेक आपराधिक मामले भी लंबित थे। [कंडिका 12] [1118-ए-डी]

2.3. चूँकि अनेक रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थीं, अतः इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त करना उपयुक्त नहीं होगा, विशेषकर उन सामग्रियों के आलोक में जिनके परिणामस्वरूप दिनांक 14.12.2012 के निलंबन आदेश तथा दिनांक शून्य 12.12.2012 के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने श्रमिकों के हित तथा याचिकाकर्ता फर्म के कुछ वैधानिक दायित्वों के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यायसंगत निर्देश जारी किए हैं। अतः, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [कंडिका 13] [1118-डी-एफ]

नजीर संदर्भ :

2010 (6) एससीआर 291	**अनुसरण किया गया**	**कंडिका 7**
1978 (2) एससीआर 272	**संदर्भित**	**कंडिका 10**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्याएँ 18662-18663/2013।

मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ द्वारा रिट अपील (एमडी) संख्याएँ 906 एवं 907/2012 में पारित दिनांक 15.02.2013 के निर्णय एवं आदेश से।

हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, सी.ए. सुंदरम, वी. गिरि, के.के. मणि, के. रामकृष्ण रेड्डी, के. कलापा रेड्डी, अभिषेक कृष्ण, रोहिणी मूसा, आर. राकेश शर्मा, आनंद सत्यसेलन, बी. बालाजी, पी.एस. सुधीर, एम. पुरुषोत्तमन (संतोष कुमार त्रिपाठी की ओर से), जी. पुगलेन्धी, शासकीय अधिवक्ता, शीलम, विशेष लोक अभियोजक, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा प्रदत्त किया गया।

के.एस. राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति 1. ये विशेष अनुमति याचिकाएँ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट अपील (एमडी) संख्याएँ 906 एवं 907/2012 में पारित सामान्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.02.2013 से उत्पन्न हुई हैं। याचिकाकर्ता एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है, जो आयामी ग्रेनाइट ब्लॉक्स, स्लैब्स, टाइल्स, स्मारक आदि के निर्माण के व्यवसाय में संलग्न है तथा उसने मदुरै जिले के थेरक्कुथेरु ग्राम में ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने हेतु अपना कारखाना स्थापित किया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता फर्म 100% निर्यात उन्मुख इकाई है, जिसे मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन द्वारा मान्यता प्राप्त है। याचिकाकर्ता फर्म के पास मदुरै जिले में लगभग 584.83 एकड़ क्षेत्रफल में फैली 55 ग्रेनाइट खदानें पट्टे पर हैं।

2. यह आरोप लगाते हुए कि याचिकाकर्ता फर्म अनधिकृत खनन में संलग्न थी, उत्तरदाता अधिकारियों तथा जिला समाहर्ता एवं पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ताओं के कारखाना परिसर, वाहनों एवं उपकरणों को सील करने तथा उपर्युक्त खदानों के संबंध में खनन संचालन निलंबित करने हेतु कदम उठाए। फलतः, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका (एमडी) संख्याएँ 12441 एवं 12442/2012 दायर कर मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिनकी सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई।

3. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष राज्य ने यह भी अभिमत व्यक्त किया कि दिनांक 09.08.2012 का बंद करने का आदेश अवैध था और विधि की दृष्टि में उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा लिए गए उक्त अभिमत को ध्यान में रखते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नवत् टिप्पणी की :—

> "124. यह भी प्रतिवादियों का स्वीकृत मामला है कि आज तक याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के निरस्तीकरण के संबंध में कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया है, अतः प्रतिवादियों के पास याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई खदानों में खनन संचालन रोकने का तथा इस प्रकार फर्म में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के आजीविका के अधिकार को छीनने का कोई औचित्य नहीं है।"

4. सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात् विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 02.11.2012 को रिट याचिकाओं का निस्तारण किया। निर्णय का प्रवर्तनीय भाग निम्न है:

"130. तथापि, साथ ही इस तथ्य को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता फर्म के भागीदारों के विरुद्ध अनेक मामले पंजीकृत हैं तथा करोड़ों रुपये के अवैध खनन के गंभीर आरोप हैं। इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाओं में रिट याचिकाकर्ता का स्पष्ट अभिमत है कि याचिकाकर्ता आपराधिक मामलों की अन्वेषण में सील किए गए सभी दस्तावेज, अभिलेख एवं लेखा पुस्तकों को प्रस्तुत करने में सहयोग करने को तैयार हैं तथा यह भी आश्वासन दिया है कि वे किसी भी अभिलेख के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही किसी साक्ष्य को नष्ट करेंगे। याचिकाकर्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह अन्वेषण में किसी साक्षी को भयभीत नहीं करेगा। अतः, याचिकाकर्ता के पक्ष में पूर्णतः व्यापक आदेश पारित करना अन्वेषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसकी विधि अनुमति नहीं देती।

131. अतः, न्यायसंगत संतुलन स्थापित करने हेतु, इन रिट याचिकाओं का निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारण किया जाता है :—

1. उत्तरदाता याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई संपत्ति पर पट्टे की शर्तों के अनुसार, जो निर्विवाद रूप से प्रभावी है, खनन संचालन जारी रखने की अनुमति देंगे। तथापि, यदि उपयुक्त समझें, तो प्रतिवादियों को खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपयुक्त कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

2. उत्तरदाता आगे से बैंक खातों को मुक्त करेंगे तथा याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार अपना व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देंगे। तथापि, याचिकाकर्ताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे प्रत्येक पखवाड़े अन्वेषण अधिकारी को लेखा विवरण प्रस्तुत करें।

3. अन्वेषण अधिकारी द्वारा निर्यात एवं आयात पर लगाए गए प्रतिबंध संबंधी आदेश को अपास्त किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि उत्तरदाता वैध दस्तावेजों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने वाले निर्यात एवं आयात में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

4. प्रशासनिक भवन पर लगाए गए सील को उस समय खोला जाएगा जब अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण हेतु आवश्यक दस्तावेज, कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क आदि अपने कब्जे में ले लेगा। (पक्षकारों के मध्य सहमति के अनुसार, याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यदि उचित समझे तो दो व्यक्तियों एवं एक विशेषज्ञ को दिनांक 07.11.2012 (बुधवार) को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन में उपस्थित करे, ताकि कम्प्यूटरों से डेटा स्थानांतरित करने एवं व्यवसाय संचालन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के पश्चात्, सीलबंद भवन में उपलब्ध कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क एवं दस्तावेज सुपुर्द किए जा सकें)। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता परिसर में उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा अन्वेषण अधिकारी को अन्वेषण हेतु आवश्यक कम्प्यूटर, हार्ड डिस्क एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ ले जाने की अनुमति देगा। यह प्रक्रिया तीन दिनों के भीतर पूर्ण की जाएगी तथा इसे 09.11.2012 (शुक्रवार) तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।

5. अन्वेषण अधिकारी याचिकाकर्ता को अपना व्यवसाय संचालित करने की अनुमति देगा।

6. मोटरयान अधिनियम अथवा आपराधिक मामलों के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए वाहनों, उपकरणों एवं अन्य सहायक सामग्रियों के संबंध में, याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार उपयुक्त उपचार ग्रहण करने की स्वतंत्रता होगी।

व्यय के बारे मे कोई आदेश नहीं।”

5. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर राज्य ने मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिट अपील (एमडी) संख्याएँ 906 एवं 907/2012 दायर कीं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों पर विचार करते समय राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता ने यह इंगित किया कि रिट अपीलों के लंबित रहने के दौरान ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 के नियम 19(2) के अधीन दिनांक 14.12.2012 के निलंबन आदेश जारी किए गए थे तथा दिनांक शून्य 12.12.2012 के कारण बताओ नोटिस भी रिट याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए थे। आगे यह भी इंगित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को उनकी 56 खदानों में खनन संचालन जारी रखने की अनुमति प्रदान कर उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाहियों एवं आपराधिक कार्यवाहियों को बाधित नहीं किया जा सकता। महाधिवक्ता द्वारा की गई उक्त प्रार्थना का रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह कहते हुए विरोध किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात् सरकार द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्देशों की शुद्धता अथवा अन्यथा की अन्वेषण का आधार नहीं बन सकती। उस तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णय *मोहीन्दर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य* [(1978) 1 एससीसी 405] पर निर्भरता व्यक्त की गई।

6. मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दो प्रश्न निर्धारित किए, जो निम्नवत् हैं :—

"(1) क्या अपीलकर्ता पश्चातवर्ती घटनाओं, अर्थात् दिनांक 14.12.2012 के निलंबन आदेशों के पारित होने तथा दिनांक शून्य 12.12.2012 के कारण बताओ नोटिसों के उत्तरदाता/रिट याचिकाकर्ता फर्म को जारी किए जाने पर निर्भरता व्यक्त कर सकते हैं? तथा

(2) क्या विशेष विधि, अर्थात् खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा अन्य नियमों के प्रावधान, समानांतर कार्यवाहियों अर्थात्

विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के संबंध में सामान्य विधि अर्थात् भारतीय दंड संहिता के दंडात्मक प्रावधानों तथा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर अधिभावी हो सकते हैं?"

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने निवेदन किया कि उनका मुख्य सरोकार प्रथम प्रश्न से है तथा उसी बिंदु पर उनके द्वारा तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. सुंदरम द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। हमारे विचार में, जहाँ व्यापक लोकहित संलग्न हो, ऐसे मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पश्चातवर्ती घटनाओं का परीक्षण करना उचित था। इस न्यायालय ने *ऑल इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाम के. श्याम कुमार* [(2010) 6 एससीसी 614] में *मोहीन्दर सिंह गिल* (उपरोक्त) के मामले को पृथक करते हुए कहा था कि जहाँ व्यापक लोकहित संलग्न हो, वहाँ न्यायालय सदैव पश्चातवर्ती घटनाओं पर विचार कर सकता है। निर्णय का प्रासंगिक कंडिका नीचे उद्धृत किया जाता है :—

"45. हमारा यह मत है कि जहाँ व्यापक लोकहित संलग्न हो, वहाँ निर्णयकर्ता पहले से लिए गए निर्णय के समर्थन में पश्चातवर्ती सामग्रियों पर सदैव निर्भरता व्यक्त कर सकता है। इस न्यायालय ने *माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश बनाम अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति* में, जहाँ सामूहिक नकल के गंभीर आरोप थे, परीक्षा निरस्तीकरण को बनाए रखने हेतु पश्चातवर्ती प्रतिवेदन पर निर्भरता व्यक्त किए जाने में कोई अनियमितता नहीं पाई। *मोहीन्दर सिंह गिल* मामले में प्रतिपादित सिद्धांत उन परिस्थितियों में लागू नहीं होता जहाँ व्यापक लोकहित संलग्न हो और ऐसी परिस्थितियों में आदेश की वैधता की अन्वेषण हेतु अतिरिक्त आधारों पर भी विचार किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिलिखित निष्कर्ष कि दिनांक 04.06.2004 के आदेश की वैधता की अन्वेषण हेतु सीबीआई प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता, संधारणीय नहीं रह सकता।"

8. सरकार एवं जिला प्रशासन को मदुरै जिले में अवैध खनन के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को उक्त शिकायतों के सत्यापन का निर्देश दिया। जिला समाहर्ता ने विभिन्न खदानों का निरीक्षण किया तथा दिनांक 19.05.2012 को एक प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रारंभिक प्रतिवेदन के पश्चात् जिला प्रशासन ने मदुरै जिले में संचालित सभी 175 ग्रेनाइट खदानों का व्यापक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया। विशाल क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त से अनुरोध किया कि वे अपने विभाग से अधिकारियों को निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त करें। फलतः, भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त ने कार्यवाही दिनांक 04.08.2012 के माध्यम से विभिन्न अन्य जिलों से छह सहायक भूवैज्ञानिक, दो सर्वेक्षक तथा दो सर्वे उप निरीक्षकों को जिला प्रशासन द्वारा गठित निरीक्षण दल की सहायता हेतु प्रतिनियुक्त किया। व्यापक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाने के पश्चात् भूविज्ञान एवं खनन के उप निदेशक तथा सहायक निदेशक ने 23.11.2012 को 88 ग्रेनाइट खदानों के संबंध में मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उनमें से 16 खदानें याचिकाकर्ता की थीं। जलभराव के कारण 22 ग्रेनाइट खदानों का निरीक्षण नहीं किया जा सका, जिनमें से 18 खदानें याचिकाकर्ता की थीं।

9. भूविज्ञान एवं खनन के उप निदेशक तथा सहायक निदेशक ने अपनी मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2012 में प्रतिवेदित किया कि याचिकाकर्ता फर्म ने अपने खनन योजना के अनुसार खनन संचालन नहीं किया तथा समीपवर्ती सड़कों, तालाबों, नहरों एवं जल निकायों पर अतिक्रमण किया और समीपवर्ती गैर-पट्टाधारित क्षेत्रों में भी अवैध रूप से ग्रेनाइट का उत्खनन किया। आगे यह भी इंगित किया गया कि जिला खान कार्यालय द्वारा अनुमत मात्रा तथा याचिकाकर्ता फर्म द्वारा उत्खनित मात्रा के बीच अत्यधिक अंतर था। फलस्वरूप यह इंगित किया गया कि उन्होंने खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) एवं 4(1-क) का उल्लंघन किया। इसके अतिरिक्त यह भी

इंगित किया गया कि उन्होंने सीमा पत्थरों तथा सुरक्षा दूरी का अनुरक्षण नहीं किया और इस प्रकार तमिलनाडु लघु खनिज रियायत नियमावली, 1959 के नियम 36(4) एवं 36(1) का उल्लंघन किया। यह भी इंगित किया गया कि याचिकाकर्ता ने ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 के नियम 15 एवं 18 के अनुसार खनन योजना प्रस्तुत नहीं की तथा अधिभार एवं अपशिष्ट पदार्थों को निर्धारित स्थान पर संग्रहित नहीं किया। विभिन्न अन्य उल्लंघनों की ओर भी संकेत किया गया।

10. तत्पश्चात् जिला प्रशासन ने निरीक्षण-सह-मूल्यांकन प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2012 को दिनांक 04.12.2012 को भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त को अग्रसारित किया तथा इंगित किया कि पट्टाधारकों ने ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 के नियम 18 के उपनियम (2) एवं (3) के अधीन अपेक्षित खनन योजना प्रस्तुत नहीं की तथा पट्टाधारकों ने पट्टाधारित क्षेत्र एवं उससे सटे गैर-पट्टाधारित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनधिकृत खनन किया। भूविज्ञान एवं खनन आयुक्त ने भी अपने पत्र दिनांक 06.12.2012 द्वारा आगे की कार्रवाई की अनुशंसा की। फलतः, ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1999 के नियम 19 के उपनियम (2) के अधीन सरकार ने मदुरै जिले की 78 ग्रेनाइट खदानों में खनन संचालन निलंबित कर दिया तथा उनमें से याचिकाकर्ता फर्म की 20 खदानों का निलंबन दिनांक 14.12.2012 को किया गया और निलंबन आदेशों की प्रतियाँ याचिकाकर्ता फर्म को जारी की गईं।

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता पहले ही मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका (एमडी) संख्या 3829/2013 एवं संबद्ध रिट याचिकाओं के माध्यम से निलंबन आदेशों को चुनौती दे चुका है और न्यायालय ने निलंबन आदेशों पर स्थगनादेश प्रदान किया है, अतः प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को पट्टाधारित क्षेत्र में ग्रेनाइट खदानों का संचालन करने की अनुमति देनी चाहिए थी। श्री साल्वे ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को जारी कारण बताओ

नोटिस दिनांक 25.02.2013 को भी मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष रिट याचिका (एमडी) संख्या 3012/2013 एवं अन्य संबद्ध मामलों में चुनौती दी गई है तथा न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित कर जिला समाहर्ता को निलंबन आदेशों के अनुपालन में अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया है। न्यायालय ने अपना निर्णय भी सुरक्षित रख लिया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि कथित व्यपगत सूचना को चुनौती देने वाली अनेक रिट याचिकाएँ भी लंबित हैं। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ताओं को पूर्व में प्रदत्त अनुज्ञप्तियों के अनुसार खदानों का संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाए।

12. इस स्तर पर, विशेषकर जिला समाहर्ता की दिनांक 19.05.2012 की प्रतिवेदन तथा भूविज्ञान एवं खनन के उप निदेशक की दिनांक 23.11.2012 की प्रतिवेदन के आलोक में, हमारे लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई उक्त प्रार्थना को स्वीकार करना कठिन है। तृतीय उत्तरदाता द्वारा दायर शपथपत्र में इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ताओं की 16 खदानों से अवैध परिवहन की मात्रा लगभग 1207863.164 घन मीटर है तथा लागत की वसूली हेतु खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अधीन याचिकाकर्ता फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह कहा गया है कि केवल 16 खदानों में अवैध उत्खनन का मूल्य लगभग 4124.14 करोड़ रुपये है। आगे यह भी इंगित किया गया कि अन्य खदान संचालक भी इसी प्रकार के अवैध खनन कार्यों में संलग्न रहे हैं तथा अवैध कार्यों की कुल मात्रा लगभग 12390.460 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त यह भी इंगित किया गया कि सरकारी भूमि पर अवैध खनन संचालन किए जाने के संबंध में अनेक आपराधिक मामले भी लंबित हैं।

13. हमारा मत है कि चूँकि अनेक रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, अतः इस स्तर पर दोनों पक्षों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त करना उपयुक्त नहीं होगा, विशेषकर

उन सामग्रियों के आलोक में जिनके परिणामस्वरूप दिनांक 14.12.2012 के निलंबन आदेश तथा दिनांक शून्य 12.12.2012 के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। हम यह भी देखते हैं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने श्रमिकों के हित तथा याचिकाकर्ता फर्म के कुछ वैधानिक दायित्वों के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यायसंगत निर्देश जारी किए हैं। अतः, हमें दिनांक 15.02.2013 के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता और उक्त आदेशों के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिकाएँ निरस्त की जाती हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी एसएलपी को खारिज कर दिया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।